न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 11/2022

अपीलांट

रामचन्द्र पुत्र अमराराम जाति मेघवाल निवासी नोसल जिला अजमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, बाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संपठित आदेश 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908

उपस्थित :-

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

-: निर्णय :-

दिनांकः- 07/12/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय हाजा द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 62/2022 बउनवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 15.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात तहसीलदार बाली के माफिक रिपोर्ट अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर में आवागमन के लिये राजकीय सिवाय चक

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

भूमि ग्राम बेड़ा चक प्रथम के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर में से 47X9.15=430 वर्गमीटर रास्ता उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 02.05.2022 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 11.04.2022 को एकतरफा रिव्यू कर खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.16 हैक्टर में से 9.15 मीटर चौड़ा रास्ता की बजाय 8 मीटर लिखकर फिर उसे काटकर 7 मीटर चौडा अर्थात 22.96 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2022 से व्यथित होकर श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिसमें न्यायालय हाजा ने अपील स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपनी खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेड़ा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर, किस्म बारानी दोयम में से 8 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जबकि 9.15 मीटर चौडे रास्ते की जमा राशि बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए)(ii) के प्रावधानों अनुसार 30 फीट चौडा नया रास्ता उपलब्ध कराने के प्रावधान है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बेड़ा चक प्रथम, तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में से 30 फीट यानि 9.14 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30 फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय हाजा ने जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आदेश पारित किया। न्यायालय हाजा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध पेश कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 2694/30 रकबा 2.1450 की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नम्बर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 30

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फीट चौड़ा नया मार्ग उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर निर्णय दिनांक 11.04.2022 से 9.15 मीटर चौडा, कुल 430 वर्गमीटर रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 की पालना में अपीलाण्ट ने जरिये ई–चालान आदेश में वर्णित 47,704 अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ चार रूपये राजकोष में जमा करवा दिये है। इस आदेश को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सोमोटो रिव्यू कर रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर करते हुए कुल भूमि 329 वर्गमीटर रास्ते के रूप में दी गई है। तत्पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा खसरा संख्या 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टर में से 8 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2022 की पालना में अपीलाण्ट ने जरिये ई–चालान में वर्णित राशि 47704 रूपयें अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ चार रूपये राजकोष में जमा करवा दिये है। अपीलाण्ट को कृषि कार्यों में सुविधाजनक आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानुसार अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का प्रावधान है।

अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 62/2022 बउनवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 15.09.2022 को अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को अपनी खातेदारी भूमि मौजा बेडा चक प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2694/30 रकबा 2.1450 हैक्टेयर बारानी दोयम में आवागमन हेतु खसरा नंबर 73/4777 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए 30 फीट चौड़ा रास्ते में आने वाली भूमि की गणना कर राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै. मु. रास्ता अमल दरामद करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली